

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ गोरखपुर दिनांक- 30.05.2021

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा दिये गये आदेश व निर्देश के क्रम में शहर क्षेत्र में हो रही अवैध शराब के निष्कर्षण व विक्री की रोकथाम को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ / क्राइम के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में थाना गोरखनाथ की पुलिस द्वारा मुखविर खास के सूचना पर 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौशादर व 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- 1-प्रदीप उर्फ मोनू निषाद पुत्र स्व० कन्हई निवासी रामपुर नयागांव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 2-राजकुमार सोनकर पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण निवासी मिर्जापुर झुगिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक प्लास्टिक की जरिकेन में 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम नौशादर।
2. एक प्लास्टिक की जरिकेन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक व समय -

- 1-रामपुर नयागांव, दिनांक- 30.05.2021, समय- 06.10 AM
- 2- शान्तिवरन लान कौड़ियहवा, दिनांक- 30.05.2021, समय- 07.25 AM

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 168/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा०द०वि० थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
2. मु०अ०सं० 169/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

1. उ०नि० शैलेश कुमार थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
2. हे०का० कमलेश सिंह यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
3. हे०का० लाल बहादुर सिंह यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर।